

**न्यायालय तहसीलदार मसूदा जिला-अजमेर (राज०)**

प्रकरण संख्या 15/2019

अस्थान सरकार जरिए  
पटवारी हल्का

बनाम

श्री. रतन शं. बाबू, मेरात

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट  
निर्णय

दिनांक 18-02-2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । पटवारी हल्का शंकरा प्रथम  
द्वारा सम्बत् 2075 ग्राम गुवाडिया की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 5291 कुल रकबा 18-18-00  
किस्म भूमि सी. 3 में से रकबा 18-18-00 भूमि पर अप्रार्थी श्री. रतन बाबू पुत्र  
जाति मेरात निवासी रतन बाबू द्वारा नाजायज पत्रावली पेश कर लिये  
जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रकरण भू-राजस्व  
अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की  
धारा एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 18/2/2019 को मुकाम मसूदा  
पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया ।

अप्रार्थी में नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक  
तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । भूमि नियमन योग्य नहीं है ।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं  
दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया । भूमि वर्तमान राजस्व  
रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है । अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है । अतः  
अप्रार्थी रतन बाबू पुत्र जाति मेरात  
निवासी रतन बाबू की सरकारी भूमि ग्राम गुवाडिया के खसरा नम्बर 5291 कुल  
रकबा 18-18-00 किस्म जमीन सी. 3 में से रकबा 18-18-00 भूमि पर किए गए नाजायज  
कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे  
एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 4.73 का पचास गुणा रुपये बतौर शास्ति आरोपित  
की जावे व मौके पर खड़ी फसल/अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक/  
पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे । पत्रावली बाद कार्यावाही फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल  
किया गया ।

तहसीलदार मसूदा  
जिला अजमेर

